भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2728

सोमवार, 17 मार्च, 2025 / 26 फाल्गुन, 1946 (शक)

जी-20 रोजगार कार्य समूह बैठक, 2025

2728. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
डॉ विनोद कुमार बिंद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के अंतर्गत प्रथम जी-20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) बैठक, 2025 में भारत की भागीदारी के प्रमुख परिणामों का ब्यौरा क्या है;
(ख) चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति और श्रम बाजार लचीलेपन पर उनका प्रभाव क्या है;
(ग) राज्यों में चार श्रम संहिताओं के पूर्ण प्रवर्तन की समय-सीमा क्या है; और
(घ) 2047 तक 70% महिला कार्यबल भागीदारी प्राप्त करने के लिए सरकार की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी के अंतर्गत जी20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 18 से 21 फरवरी 2025 तक पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान चर्चा के प्रमुख विषयों में 'समावेशी विकास और युवा सशक्तिकरण' और 'काम के समावेशी भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा और डिजिटलीकरण' शामिल थे।

इस बैठक के दौरान किए गए उपायों में भारत के प्रमुख सुधारों को उजागर किया गया, जो रोजगार सृजन, श्रम बाजार की उतार-चढ़ाव और व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए लक्षित हैं। भारत के सकारात्मक रोजगार रुझानों पर जोर दिया गया, जिसमें बेरोजगारी दर में गिरावट के साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। सामाजिक सुरक्षा विस्तार में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया, जिसका कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से बढ़कर वर्ष 2024 में 48.8% तक दोगुना हो गया, जैसा कि आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट वर्ष 2024-26 में बताया गया है। कौशल विकास के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। भारत की प्रौद्योगिकी

का परिवर्तनकारी उपयोग प्रदर्शित किया गया, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और विभिन्न हितधारकों-नियोक्ता, नौकरी चाहने वाले, कौशल सेवाओं आदि के सामंजस्य द्वारा श्रम बाजार में आपूर्ति-मांग के अन्तर को पाटने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का उपयोग करना शामिल है।

श्रम, भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को सौंपी गई है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 34, 33, 32 और 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य माहौल हेतु श्रम कानूनों में सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, समान मजदूरी आदि जैसे अनेक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "नियोक्ताओं के लिए महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एड्वाइज़री" जारी की। इस एड्वाइज़री में अन्य बातों के साथ-साथ पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, परिवार आपातकालीन छुट्टी और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूल उपायों सहित पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए रोजगार और देखभाल जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट वर्ष (2024-25) में उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित करने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रेच खोलने की घोषणा की गई।

******